

फर्द अहकाम

(नियम 26)

प्रदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रामगारा

बनाम

मेरुगिरी

म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 327/2022

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/06/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती रामगारा

पिता श्री रज्य जी जार

निवासी- ऐराम

ऐराम

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 413, 414, 415

416, 417, 608, 610

कुल कीता 7 कुल रकबा 1.2400 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम ऐराम स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 413, 414, 415, 416, 417, 608, 610

कुल कीता 7 रकबा 1.2400 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000.00 रूपये अक्षरे एक हजार शब्द प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(सुन्दर किरनोई)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)